99/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 99/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर

A3

07–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से जिस प्रकार से सूचनाएं चाही गयी थी वह उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2016 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. आपके पत्रांक 779 दिनांक 19.07.16 सम्बोधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर को पहुंचने की तारीख व उनके कार्यालय का रिसिप्ट रजिस्टर का कमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र पर मार्किंग करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. जिस कर्मकार को पत्र मार्किंग किया गया उसका नाम व पद की सूचना।
4. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार द्वारा की गई उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. पत्र पर कार्यवाही तत्कालीन आयुक्त प्रहलाद राय मीणा, नगरपरिषद श्रीगंगानगर एवं करतारसिंह पूनिया एवं सचिव मलकीयत सिंह सैनी जांच अधिकारी द्वारा लोक सभा चुनाव 2014 में बी.एल.ओ. श्री सुभाष चन्द गोयल द्वारा मतदाता पर्ची प्रार्थी के परिवार को वितरित न करने के आधार पर मलकीयत सिंह सैनी एवं बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत लापरवाही बरतने के उपरांत भी कार्यवाही जिस अधिनियम के अन्तर्गत नही की गयी उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर नर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 774 दि0 28.06.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 582 दिनांक 23.05.16 के द्वारा पंजिकृत डाक द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। उनके द्वारा पत्र सं0 582 दिनांक 23.05.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना के संबध में:–

आपको अवगत करवाया जाता है कि आप द्वारा बिन्दु संख्या 1 के तहत वर्णित पत्र का कमांक व दिनांक अंकित नही किया गया है जिस कारण सूचना किस पत्र से संबंधित है, यह स्पष्ट नही हो रहा है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित 1 से 5 तक के बिन्दुओ से संबंधित कोई सूचना दिया जाना संभव नही है।

तथापि आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से असन्तुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए कोई निश्चित सूचना व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 23.05.2016 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर